



राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर



क्रमोंक:सं.3-6(7)स्था/मंत्रा/अभि/98/3139-55 जयपुर दिनांक:- 31/03/23

**पदोन्नति आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम 1957 के नियम 26 के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंका पर श्री मांगीलाल पुत्र श्री नारायण लाल के विरुद्ध कार्मिक (क-3) विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2002 के द्वारा 16 सी.सी.ए की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति का निर्णय उक्त जांच के निर्णयाधीन सीलकवर लिफाफे में रखा गया था, वर्तमान में कार्मिक (क-3)विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित जांच दिनांक 21.02.2022 में इनके विरुद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने पर श्री मांगीलाल पुत्र श्री नारायण लाल को वर्ष 1998-99 की रिक्तियों के विरुद्ध, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतन श्रृंखला 4000-100-6000 (9) में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता वरिष्ठ लिपिक के पद पर श्री अशोक कुमार ठाकुर पुत्र श्री लक्ष्मण लाल के नीचे व श्री राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री मदन लाल के ऊपर रहेगी।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव ,निदेशक अभियोजन ।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर ।
4. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन .....
5. संस्थापन अधिकारी ,अभियोजन निदेशालय जयपुर ।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा :-सहायक निदेशक अभियोजन .....
7. निजी पत्रावली /रक्षित पत्रावली संस्थापन शाखा (वरिष्ठ मंत्रालयिक ),अभियोजन निदेशालय जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

Signature Valid

Digitally signed by Rav Sharma  
Designation : Director  
Date: 2023.03.29 17:54:28 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3519919

